



राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)



वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे

वित्तीय वर्ष 2022–23



कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान



राजस्थान आवासन मण्डल
वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकोक्षित लेखे
वित्तीय वर्ष 2022–23
विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ	संख्या
1	सामान्य	...	1
2	आवास निर्माण / आवंटन	...	1
3	वित्त प्रबन्धन / पंजीकरण प्रक्रिया	...	1
4	गुणवत्ता नियंत्रण	...	11
5	मण्डल की कॉलोनी में नागरिक सुविधाएं	...	12
6	प्रचार प्रसार	...	12
7	राशि संग्रहण केन्द्र	...	13
8	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	...	13
9	कम्प्यूटरीकरण	...	13
10	भूमि अवाप्ति	...	14
11	भौतिक प्रगति	...	14
12	वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के ग्राफ	...	16
13	पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय	...	19
14	आवासन मंडल द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाएँ	...	24
15	मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ	...	26
16	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना—2009	...	31
17	Real Estate Regulatory Authority (RERA)	...	32
	तालिकाएं		
I.	मार्च—2023 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	...	33
II.a	शहरवार/आयर्वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची	..	34
II.b	शहरवार/आयर्वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची	...	36
III.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	38
III.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	38
III.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	38
III.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	38
IV.a	धारा 4(1) मण्डल स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	...	39
IV.b	धारा 11(1) राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	...	39
IV.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	...	39
V.	पुरस्कार	...	40
VI.	अंकोक्षित लेखे	...	41
VII.	प्रशासनिक ढांचा	...	49
VIII.	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	...	50



राजस्थान आवासन मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे

वित्तीय वर्ष 2022–23

1. सामान्य

राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना दिनांक 24 फरवरी, 1970 को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय योजनाएँ विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के हेतु किया गया। आवासीय योजनाओं में कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

स्थापना से अब तक प्रदेश के 67 शहरों/कस्बों में विभिन्न वर्गों आवासों के निर्माण की प्रगति निम्नानुसार है:

आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ	आवासों का निर्माण पूर्ण	आवासों का आवंटन	आवासों का कब्जा
2,60,053	2,54,605	2,53,065	2,42,182

राज्य के 23 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्ग के 5,448 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवासन मण्डल की स्थापना से अब तक निर्माण कार्यों पर रु. 9255 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

वर्तमान में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध; स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण द्वारा किया जा रहा है। आवासन मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

नई आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य 300.00 रु. निर्धारित है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/765 दिनांक 8.08.2013 द्वारा प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रु 500.00	रु 700.00	रु 1000.00	रु 1500.00	रु 2000.00

प्रोसेसिंग फीस पुनर्भुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आय वर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, आवासन मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की वार्षिक आय सीमा आदेश क्रमांक मुसप्र/का आ/2019/323 दिनांक 09.07.2019 एवं पंजीकरण राशि आदेश क्रमांकमुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009. से निम्नानुसार निर्धारित है :—

(अ) वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि (सामान्य)

क्र. सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3,00,000 तक	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	3,00,001 से 6,00,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	6,00,001 से 12,00,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	12,00,001 से 18,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	18,00,001 एवं अधिक	1,20,000

अल्प आय वर्ग से उच्च आय वर्ग तक के अवैतनिक श्रेणी के शहरी क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शापथ पत्र के स्थान पर आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से आय हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना गया है।

(ब) पंजीकृत आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन की सुविधा

आदेशक्रमांक: मुसप्र/बो.मी.-238/आय वर्ग परिवर्तन/2019/683 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा पंजीकृत आवेदकों को अपनी वर्तमान आय अनुसार आयवर्ग में परिवर्तन करने की सुविधा दी गई है। इस हेतु सभी उप आवासन आयुक्तों को अधिकृत किया गया है।

(स) मुख्यमंत्री जनआवास योजना हेतु वार्षिक आय का निर्धारण

आवासन मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2018/713 दिनांक 10.09.2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली आवासीय योजना के पंजीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को आयवर्गानुसार दो श्रेणी में यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—प्रथम (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,000 तक) तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—द्वितीय (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,001 से 3,00,000 तक) में विभक्त किया गया है।

(द) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है तथा आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु निर्धारित पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की सुविधा है। आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

आवेदकों के रिफण्ड करते समय उनके द्वारा एसएफएस योजना में जमा करायी गयी राशि मानते हुए कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्तआदेशक्रमांक मुसप्र/794 दिनांक 17.05.07 द्वारा वर्तमान सैनिकों के समान ही भूतपूर्व सैनिकों/विरांगनाओं कोनिर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराने की सुविधा है।

- 3.4 बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान**
- बड़े शहरों में भूमि की सीमित उपलब्धता के मध्यनजरबहुमंजिले आवासों के निर्माण किये जाने से आदेशक्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा निम्नानुसार प्रावधान निर्धारितकिये गये:-
- i. बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।
 - ii. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के पात्र आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
 - iii. पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।
 - iv. पात्रता आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 पंजीकरण राशि की वापसी

पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद किन्तु पूर्वग्रहण राशि माँगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड की माँग करने पर पंजीकरण राशि निर्धारित ब्याज सहित वापिस ली जा सकेगी। आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किये जाने की अवस्था में पंजीकरण राशि में 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ की गयी योजनाओं एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा कब्जा राशि जमा कराने से पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आदेश क्रमांक वसूली/2020-21/469 दिनांक 29.09.2020 एवं रेरा से रजिस्ट्रर्ड पंजीकरण योजनाओं में आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के तहतनिम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

क्र. स.	प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	श्रेणी (आय वर्ग)	कटौती की जाने वाली राशि
1	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	EWS/LIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)
2	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	MIG-A/ MIG-B/ HIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के आदेशक्रमांक—मुसप्र/2013/1642 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित/संशोधित किया गया है :—

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
500/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2500/-रु.	5000/-रु.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चात्वर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
5000/-रु.	5000/-रु.	10000/-रु.	15000/-रु.	20,000/-रु.

- विधिक प्रभार—मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
200/-रु.	300/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2,000/-रु.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
10,000/-रु.	1,000/-रु.	1,000/-रु.	5,000/-रु.

(ब) **मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण** :—पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु आदेशक्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1.12.1992 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है :—

- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति—पत्नि के माता—पिता, भाई—बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति—पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।
- पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्हीं मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 निःशक्तजन (दिव्यांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :—

बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैट्स में निःशक्तजन आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र./ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया। स्टिल्ट पर पार्किंग व्यवस्था होने की स्थिति में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए

आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 से पृथक् से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा।

3.9 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि—पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रमांक मु.स.प्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

राज0 आवासन मंडल की रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत योजनाओं/नई पंजीकरण योजनाओं में किराया क्रय पद्धति व नगद भुगतान पद्धति (स्ववित्त पोषित योजना, विशिष्ट पंजीकरण योजना एवं सामान्य पंजीकरण योजना) में रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मंडल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तिय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है का प्रावधान मंडल में लागू करने हेतु प्रस्ताव मंडल की 248वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.11.2022 में बिन्दु संख्या 248.33 रखा गया। निर्णयानुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि तालिका—अ के अनुसार एवं मध्यम आय वर्ग—अ व ब तथा उच्च आय वर्ग के लिए पंजीकरण हेतु तालिका—ब के अनुसार पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका— अ

क्र.स.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि किश्त			योग
1	आ०द३०से कमजोर आय वर्ग	7000	5000	5000	5000	22000
2	अल्प आय वर्ग	15000	10000	10000	10000	45000

तालिका— ब

क्र. स.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि की किश्तें=अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत—पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग—अ	50,000	35%	30%	30%
2	मध्यम आय वर्ग—ब	80,000	35%	30%	30%
3	उच्च आय वर्ग	1,20,000	35%	30%	30%

3.10 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधानः—

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग “अ”, मध्यम आय वर्ग “ब” एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूँजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाएँ बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आदेशमुस्सप्र/2009/ 481 दिनांक 29.06.2009 में निहित प्रावधान अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार मांगी जाती है :—

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	22.5 %
			द्वितीय	4 माह	22.5 %
			तृतीय	7 माह	22.5 %
			चतुर्थ	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	15.00 %
			द्वितीय	4 माह	15.00 %
			तृतीय	7 माह	15.00 %
			चतुर्थ	10 माह	15.00 %
			पंचम्	13 माह	15.00 %
			षष्ठम्	16 माह	10.00 %
			सप्तम्	19 माह	10.00 %
					10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फलैट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात् आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :—

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :—
 - (i) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।
 - (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व/कार्यरत सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं द्वारा जमा कराई गई राशि को ही पंजीकरण राशि माना जायेगा एवं तदनुसार प्रभावी नियमों के अन्तर्गत कटौती कर शेष राशि रिफण्ड की जावे। उक्त प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/717 दिनांक 27.10.2021 द्वारा किये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

आवासन मण्डल में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नवीन योजनाओं में पंजीकरण ऑन लाईन प्रारम्भ किया गया है। स्ववित्त पोषित योजना जिसमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि 5.00 लाख रु. से अधिक है, उस स्थिति में 5.00 लाख रु. तक की राशि ऑनलाईन जमा करवाने एवं शेष राशि आरक्षण पत्रानुसार प्रथम किश्त में

जोड़कर जमा कराने का प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 से किया गया।

3.11 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :—राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एंव आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प (RISL) द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना विभागीय वैबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन “डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन्स—1970”, “पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981” एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास हेतु पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.12 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित आवासों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान आदेशक्रमांक मु.स.प्र/2022/813 दिनांक 02.01.2023 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :—

क्र. सं.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग (5%)	निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला (10%)	
1	G-1	(i) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/वीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00

2	G-2	(i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं प्राइवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00	
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00	
5	G-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00	
6	G-6	वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00	
7	G-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.43	0.03	0.05	0.50	
8	G-8	अधिस्थीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00	
9	G-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00	
10	G-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00	

नोट (1) सरकारी सरकारी कर्मचारी की विधवा को वैतनिक वर्ग में आवास प्राप्ति हेतु कर्मचारी की मृत्यु के समय आय से 6.00 लाख से अधिक न हो तथा निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला के मामले में आय 0.80 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।
(2) आरक्षित वर्गों के पर्याप्त आवेदक न होने पर शेष रहे आवासों को जी-2 वर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3.13 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, भाई/बहन, पुत्रवधु, एवं पौत्र/पौत्री ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.14 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

- मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु विपरीत पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन द्वारा किसी भी स्थान से बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के नीलामी में भाग ले सके, इस हेतु बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन के माध्यम से आवासों की कीमतों में कमी करते हुए 0 से 25 प्रतिशत एवं 0 से 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान करते हुए 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना दिनांक 10.06.2020 से “10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए” के संदेश के साथ प्रारम्भ की गई जो आदिनांक अनवरत जारी है।
- आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य (Minimum Bid Price) पूर्व के वर्ष 2019-20 के अनुसार वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए 07.11.2021 तक स्थिर रखी गयीथी। दिनांक 08.11.2021 के पश्चात् संशोधित की गई भूमि एवं

विकास दर को वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 हेतु 30.06.2022 तक प्रभावी रखते हुए भूमि एवं विकास दर के अनुरूप आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बिड मूल्य (Minimum Bid Price) का निर्धारण किया गया जो वर्तमान में भी लागू है।

3.15 किश्तों पर देय ब्याज दर

- i. आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 तथा संशोधित आदेश क्रमांक 586 दिनांक 11.03.2010 के अनुसार आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही ब्याज दर और किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से सितम्बर 2019 तक वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारितकी गई :—

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किश्तों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

- ii आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 के अनुसार विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार दिनांक 01.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गई :—

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावी ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	12.00%

- iii आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1019/1187 दिनांक 10.10.2019 के अनुसार अधिशेष आवासों की निर्माण लागत पर तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के आवंटियों से अक्टूबर 2019 से वसूलनीय ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन किया गया :—

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	6.50%
2.	अल्प आय वर्ग	7.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	8.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	9.00%
5.	उच्च आय वर्ग	9.50%
6.	व्यावसायिक	10.00%
7.	संस्थानिक	10.00%

4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए आवासन मण्डल मुख्यालय पर पृथक् से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित हैं जो स्तरवंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक् से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/ खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से भी करवाया जाता है।

आदेश क्रमांक मुअ—मु/राआम/993 दिनांक 04.11.2015 द्वारा समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त प्रगतिरत निर्माण परियोजनाओं का तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने का प्रावधान किया जाकर संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निरीक्षक नियुक्ति हेतु अधिकृत किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्यों के आवश्यक सेम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु मण्डल द्वारा एक मोबाईल एप्प “आरएचबीसजग” प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रतिमाह सभी खण्ड कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता रिपोर्ट तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देश एवं उनकी अनुपालना विवरण व कार्यों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट अपलोड की जा रही है। इस ‘सजग एप’ के जरिये उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से समीक्षा की जा रही है।

- आवासनमण्डल की आवासीय योजनाओं में नागरिक सुविधाओं का समावेश आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान, व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था,

रोड लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि के भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मण्डल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार के विभिन्न माध्यमों यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

7. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

आमजन की सुविधा हेतु, खातों के रख रखाव में सुगमता हेतु राशि संग्रहण केन्द्र/विभिन्न बैंकों को अधिकृत किया गया है सूची आवासन मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

8. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

सुनवाई के अधिकार के तहत आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/विविध/2009/जनसुनवाई/ 2132 दिनांक 18.09.2009 की पालना में मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की जाती है जबकि समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं द्वारा सुनवाई की जाती है। आवेदक/आवंटी अपनी समस्या को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज कराने का भी प्रावधान है। जन सुनवाई के लिए स्थान एवं समय का निर्धारण किया गया है :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन/समय
1.	अध्यक्ष	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक
2.	आवासन आयुक्त	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक
3.	उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
4.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
5.	आवासीय अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड-कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
6.	तक. सहा. आवा. अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड-कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

9. कम्प्यूटरीकरण:—राजस्थान आवासन मण्डल में कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा ई—आक्षन, वैब साइट मैन्टीनैन्स, नये कम्प्यूटरों की खरीद, मुख्यालय स्थित कम्प्यूटरों का रख रखाव, मोबाइल एपे बनवाना के साथ—साथ निम्नांकित कार्यों का सम्पादन भी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जा रहा है :

i **वित्त एवं लेखा कार्य**

वार्षिक बजट, वेतन बिल, कटोती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण, मासिक खाते (मुख्यालय), सामान्य भविष्य निधि लेखा, पेशन सम्बन्धित कार्य, आयकर सम्बन्धित कार्य, आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य, आवंटी लेखा विवरण

ii **आवासन कार्य**

नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण —योजना / श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी, आवास आवंटन लॉटरी, आवंटन पत्र, आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस जो कि ऑनलाईन उपलब्ध है। ई—सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों का निवारण, ई—ट्यूर के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा किये जा रहे Inspectionकी मॉनिटरिंग, SPPPपोर्टल के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की सूचना। ई—प्रोक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन टेन्डर प्राप्त करना व खोलना, जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से आमजन को ज्यादा—ज्यादा से सूचना उपलब्ध करवाना, RTIपोर्टल के माध्यल से सूचना जल्द ही उपलब्ध करवाई जाने की कार्यवाही करना

iii **संस्थापन कार्य:**—मंडल के अधिकारियों/कार्मिकों की मासिक वेतन का लेखा कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

iv **योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य:**— बुधवार नीलामी उत्सव हेतु विभिन्न योजनाओं के ले—आउट प्लान, आवासों की न्यूनतम बोली मूल्य, अन्य विवरण मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

10. भूमि अवाप्ति :—

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में 407.951 हैक्टेयर भूमि के 8 प्रकरणों में धारा—27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा—4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है (तालिका IV.a) 4786.41 हैक्टेयर भूमि के 18 प्रकरणों में धारा—27 अथवा धारा—4(1) तहत अधिसूचना जारी होना शेष है (तालिका IV.b)। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 17.59 हैक्टेयर (तालिका IV.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. भौतिक प्रगति

11.1 वर्ष 2022–23के लिये आवासीय गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	3519	3216	91%
2.	मकानों को पूर्ण करना	4339	2396	55%
3.	मकानों का आवंटन	3795	3484	92%
4.	मकानों का कब्जा देना	6174	4974	81%

11.2 वर्ष 1970 से अब तक आवासीय गतिविधियों के विवरण की उपलब्धि

आवासन मण्डल की स्थापना से मार्च 2023 तक आवासों के प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवंटित	आवासोंके कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	85371	83484	82664	78498
2.	अल्प आय वर्ग	72957	70482	69981	65473
3.	मध्यम आय वर्ग—अ	42919	42576	42500	41149
4.	मध्यम आय वर्ग—ब	35941	35836	35669	35313
5.	उच्च आय वर्ग	22865	22227	22251	21749
योग		260053	254605	253065	242182




कोचिंग हब, प्रताप नगर, जयपुर

12. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

12.1 निर्माण कार्यों पर व्यय


मंडल की स्थापना से लेकर अबतक निर्माण कार्यों पर कुल राशि रु.9255करोड़ व्यय की गयी है। वर्ष 2022–23 के दौरान निर्माण कार्यों पर 1037.74 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 599.68 करोड़ व्यय किये गये।



*(वर्ष 2022–23)


12.2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर अबतक राशि रु.14559करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रु.1518.03 करोड़ के विरुद्ध रु. 1518.42करोड़प्राप्त हुये।




*(वर्ष 2022–23)


12.3 वर्ष 2022–23 के दौरान आवास की भौतिक प्रगति



12.4 मण्डल की मुख्य गतिविधियों का ग्राफ



12.5 मण्डल द्वाराआय वर्गानुसार आवास निर्माण प्रारम्भ करने का प्रतिशतवार विवरण



13.(i)पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय :-

- आवासों की लागत में कमी :— सभी आय वर्गों के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार आदेश क्रमांक प.2(3)लागत / 1017 / 1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है।
- ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी:—EWS/LIGआवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग “ब” व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढ़ाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 15 प्रतिशत कर दिया गया है इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- पहचान के प्रमाण (KYC) :— आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC)नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है।
- पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरण:—आवासों/फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है।

- आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु आवेदकों की अस्थायी एंव स्थायीसूची, वरीयता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात् सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।
- आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र :—मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास** :— आवासन मण्डल द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं** में रेजीडेंट वेलफेर एसोशियसन का गठन :—बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेंट वेलफेर सोसायटी का गठन करवाया जाता है।
- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयास** :—प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में ‘वर्षा जल संरक्षण संरचना’ विकसित की जा रही है।
- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशन मंडल द्वारा हेतु बुकलेट जारी की गई है।**
- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिका** :—कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है।
- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरण किया गया है।**
- **रु. 5.00 लाख से अधिक के उपापन (Procurement) कार्य ई-प्रोक पोर्टल माध्यम से सम्पादित** :— संशोधित आदेश क्रमांक मुअ—मु/राआम/2018/10 दिनांक 22.01.2018 द्वारा मण्डल की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से ई—टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रु 10.00 लाख एंव इससे अधिक को संशोधित कर एतद्वारा रु 5.00 लाख एंव इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 22.01.2018 से प्रभावी है। संबंधित निविदाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर अपलोड की जा रही है।
- **स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका** में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।
- **आवासन मंडल की आवासीय योजना** में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संरक्षणिक) का विवरण आवासन मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यह सूचना Resurgent Rajasthan के Icon जो कि मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है, पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

- पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन :—वर्तमान मे नई आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य तथा जयपुर, जोधपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों, वृत्त बीकानेर, अलवर, स्थित कार्यालयों में राशि संग्रहण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है। शेष वृत्त कार्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है। जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा गाँधी नगर, प्रताप नगर व मानसरोवर की योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन, अदेय प्रमाण पत्र तथा प्रदेश में वरीयता एवं आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, तथा सम्पत्तियों के लेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आमजन; किसी भी स्थान से नीलामी में भाग से ले सके; इसके लिये आवासन मंडल द्वारा ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑक्शन के माध्यम से आवासों/वाणिज्यिक सम्पत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है।

(अ) अन्य राज्यों के आवासन मंडल के अधिकारियों से चर्चा कर कार्य संरचना पारदर्शी बनाने के क्रम में मंडल लेखे बनाने का कार्य हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर समस्त स्थानों पर एकरूपता लाने हेतु टेली अकाउन्टिंग सिस्टम लागू किया गया है।

(ब) इसके अतिरिक्त आमजन की सुविधार्थ मंडल की कुछ सेवाओं को ई मित्र से भी इन्टिग्रेटेड किया जा चुका है।

13.(ii)आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में किये गये महत्वपूर्ण कार्य, अभिनव प्रयोग एवं नवाचारः—

- बुधवार नीलामी उत्सव ई-सबमिशन द्वारा-कोविड-19 महामारी में आमजन किसी भी स्थान से बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के नीलामी में भाग ले सके; इस हेतु बुधवार नीलामी उत्सव अर्थात प्रत्येक बुधवार के तहत ई-बिड सबमिशन के माध्यम से निर्धारित छूट पर 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना दिनांक 10.06.2020 से “10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए” के संदेश के साथ प्रारम्भ की गई यह योजना निरन्तरजारी है। सितम्बर 2019 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की नीलामी में 15000 से अधिक आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिनका बोली मूल्य रु 2750 करोड़ है।
- अपनी दुकान अपना व्यवसाय—माह अक्टूबर 2020 में “अपनी दुकान अपना व्यवसाय” योजना के तहत 7 अक्टूबर 2020 से ई-बिड सबमिशन के माध्यम से 27 वर्ग मी. तक की कुल 1462 व्यावसायिक भूखण्डों/निर्मित दुकानों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 180.41 करोड़ है। इसके अतिरिक्त आदिनांक तक 27 वर्ग मी. से अधिक की व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों की कुल 157 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 84 करोड़ है। निर्मित दुकानों पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी।
- प्रीमियम सम्पत्ति—मण्डल द्वारा पहली बार प्रीमियम सम्पत्तियों के रूप में खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारणप्रारम्भ किया गया। 831 प्रीमियम सम्पत्तियों के नीलामी से मंडल को रु 1645 करोड़ की प्राप्ति अर्जित की गयी है।

- आवासन मंडल की राजस्थान में विभिन्न आवासीय योजनाओं में आमजन को राहत प्रदान करने हेतु अनिस्तारित आवासों/फ्लैटों की आरक्षित दरों में राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त 0—25 प्रतिशत एवं 0—50 प्रतिशत तक की छूट दी जाकर दिनांक 30 सितम्बर 2019 से आवासों का सफलतापूर्वक निस्तारण ई—ऑक्शन / ई बिड सबमिशन के माध्यम से आयोजित किया गया। तत्पश्चात् समय—समय पर नीलामी प्रक्रिया में सम—सामयिक परिवर्तन कर कोविड महामारी के बावजूद नीलामी कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। तत्समय से मार्च 2023 तक की अल्पावधि में 15000 आवासीयतथा 3000 व्यावसायिक सम्पत्तियों सहित कुल 18000 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार अधिशेष आवासों, व्यावसायिक सम्पत्तियों के विक्रय, संस्थानिक आवंटन, लीज / किश्तें / ब्याज आदि के माध्यम से 9 हजार 2 सौ करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड टर्नओवर अर्जित किया गया।
- राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत बकाया मासिक किश्तों एवं लीज मनी पर अधिरोपित शास्ति/ब्याज में छूट :—वर्ष 2022—23 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम 0आय वर्ग 'अ' एवं 'ब' तथा उच्च आय वर्ग के माह मार्च, 2023 तक 5,023 आवंटी एक मुश्त बकाया मासिक किश्त / लीज राशि जमा कराने से लाभान्वित हुए। योजनान्तर्गत वर्ष 2022—23 के दौरान माह मार्च, 2023 तक 53.42 करोड़ रु. की मासिक किश्तों/ब्याज/शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
- नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ —CMJAYके तहत जयपुर शहर की विभिन्न योजनाओं में 4,796 बहुमंजिलीय आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है। मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत भिवाड़ी में 712, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में 3354, इंदिरा गांधी जगतपुरा, जयपुर में 732 आवासों हेतु योजना का शुभारंभ किया गया।
आवासन मंडल द्वारा वर्ष 2021—22 में राज्य के विभिन्न शहरों यथा वाटिका, महला—जयपुर, निवाई—टोंक, नसीराबाद, किशनगढ—अजमेर, बड़ली—जोधपुर, आबूरोड—सिरोही, उदयपुर शहर, भींडर—उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में 2967 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 2923 आवासों का आवंटन कर 2101 आवेदकों को कब्जा प्रदान किया जा चुका है शेष प्रक्रियाधीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलो द्वारायोजना का दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया जा चुका है।
मंडल कार्मिकों हेतु 15 वर्ष पश्चात राज्य के 5 शहरों यथा जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, आबू रोड एवं भिवाड़ी में 356 स्वतंत्र आवासों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021 का शुभारम्भ किया गया, योजना हेतु दिनांक 31.12.2021 तक पंजीकरण प्राप्त किये गये हैं। जिसमें दिनांक 31.12.2021 तक आवेदन प्राप्त किये गये, वरियता निर्धारण किया जाकर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में 4, भीलवाड़ा में 52, बड़ली—जोधपुर में 27 आवासों हेतु मंडल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2022 का शुभारम्भ दिनांक 20.10.22 से 19.11.22 तक किया गया।

- विधायकों हेतु आवास-राज्य सरकार द्वारा माननीय विधायकों हेतु सम्पूर्ण सुविधायुक्त आवासों के निर्माण की महत्वाकांक्षी विधायक आवास परियोजना, ज्योति नगर, जयपुर हेतु आवासन मण्डल को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा दिनांक 11.08.2021 को किया गया। परियोजना की लागत ₹ 266 करोड़ है। मण्डल द्वारा मार्च 2023 तक विधायक आवास परियोजना पर ₹. 274 करोड़ का व्यय किया गया। परियोजना की पूर्णता तिथि अगस्त 2023 प्रस्तावित है।
- कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब जयपुर-कॉन्स्टीट्यूशनक्लब ऑफ राजस्थान के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प.8(19)नविवि /2021 दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से राजस्थान आवासन मंडल को क्रियान्वयन संस्था बनाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक जविप्रा/उपा-3/2021/डी-613 दिनांक 27.10.2021 द्वारा विधायक नगर (पूर्व) की भूमि में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान हेतु 4948.92 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई। दिनांक 09.02.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया। परियोजना की लागत राशि ₹ 90 करोड़ निर्धारित की गयी। माह मार्च 2023 तक लगभग 36.00 करोड़ का निर्माण कार्य किया जा चुका है। कार्य निर्धारितयोजना के तहत किया जा रहा है।
- **विपणन शाखा (Marketing Cell)** का गठन :— आदेश क्रमांक मुसप्र/2019/966 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा आवासन मण्डल की योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण के विकल्प एवं समाधान हेतु विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन किया गया है।
- **उद्यानिकी शाखा (Horticulture Wing)** का गठन – आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/ तक/बोमी/239.17/2019/2250 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0) के अध्याधीन उद्यानिकी शाखा का गठन किया गया है। उद्यानिकी शाखा के गठन का मुख्य उद्देश्य मंडल की विभिन्न परियोजनाओं/कॉलोनियों एवं विभिन्न पार्कों में व्यस्थित पद्धति से पौधारोपण कर हरियाली विकसित कर स्थानीय लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है। वर्तमान में मंडल द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक लाख से अधिक पेड़ पौधे लगा रहा है। उद्यानिकी शाखा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य :—
 - 1 सिटी पार्क—इस 52 एकड़ के पार्क में 39 एकड़ ग्रीन एरिया है। जहाँ 14 हजार से अधिक नीम, अर्जुन, पीपल, मीठा नीम, अशोक, बांस, ईमली, टीक, कुसुम एवं अनेक फलदार पौधे लगाये गये हैं।
 - 2 प्रताप नगर एवं मानसरोवर रिथित चौपाटियों तथा प्रताप ऐवेन्यू में भी हजारों पेड़ पौधे लगाये गये हैं।
 - 3 महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना, कोचिंग हब, गंगा मार्ग, विद्यायक आवास, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि के अलावा राज्य के विभिन्न शहरों में पौधारोपण का कार्य किया गया।

- आवासन मण्डल की भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा दोषी आवंटियों से राशि वसूली का विधिक अधिकार :—किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों का लगातार उपयोग करने के बावजूद भी किश्तों व अन्य देय राशियों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे दोषी आवंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं आवासन मण्डल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकार आवासन मण्डल अधिनियम 1970 में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरान्त प्रदान किया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में अतिक्रमियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुये माह मार्च 2023 तक लगभग 2 लाख वर्ग.मी. से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी जिसका अनुमानित बाजार मूल्य रु. 1700 करोड़ है।
- प्रवर्तन शाखा (**Enforcement Wing**) का गठन —अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही के लिए अन्य शहरी निकायों यथा विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों तथा स्थानीय निकायों की भाँति मंडल की स्वयं की प्रवर्तन शाखा की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021–2 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ हुए “प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021” के तहत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप 19 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है एवं तदनुरूप आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु सभीवृत्त/स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों में पृथक् से हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं। दिनांक 31.03.2023 तक कुल 20037 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 19016 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है व शेष निस्तारण की प्रक्रिया में हैं।

14.आवासन मण्डल द्वारा शुरू की गयी जनकल्याणकारी योजनाएँ

- महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना—आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला, जयपुर में आवंटित राजकीय भूमि पर नियोजित दस्तकार नगर योजना में 750 आवासीय इकाई मय कार्यशाला का निर्माण रु. 81.03 करोड़ का व्यय कर कराया गया था। जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को योजना के 597 आवासों को वीकेंड होम के तौर पर शुभारम्भ किया था। वर्तमान में कुल 736 आवासों का आवंटन किया जाकर कुल 637 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।
- मानसरोवर योजना में “सिटी पार्क” का विकास—एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क सिटीपार्क को विकसित करने की महत्वांकाक्षी परियोजना को लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया गया जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। योजना में लगभग 40000 वर्ग.मी. भूमि पर फाउन्टेन स्क्वायर नियोजित किया जायेगा। योजना की कुल लागत 110.00 करोड़ संभावित है। सिटीपार्क का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण दिनांक 21.10.2022 को किया जा चुका है। योजना में 65.00 करोड़ रु0 का व्यय किया जा चुका है।

- **चौपाटी:**—जयपुर में प्रतापनगर, मानसरोवर एवं दस्तकार नगर नायला योजनाओं में रामनिवास बाग के “मसाला चौक” की तर्ज पर “जयपुर चौपाटी” विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रताप नगर व मानसरोवर चौपाटी का जनोपयोग हेतु लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया गया। इसके अतिरिक्त चौपासनी योजना जोधपुर तथा कोटा में भी चौपाटी का निर्माण कार्य भी प्रगतिधीन है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु “सजग” मोबाईल ऐप विकसित किया जाना—**माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाईल ऐप “सजग” विकसित किया गया है जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह एक साथ देखा जा सकता है। “सजग ऐप” का विधिवत् विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु ऐप का उपयोग प्रारम्भ किया जा चुका है। इस ऐप में परियोजना से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ—साथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चितता से सम्बन्धित कार्यवाही ऐप पर हर माह नियमित रूप से अद्यतन की जा रहा है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, प्रदत्त निर्देश, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण, स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य में आ रही बाधा आदि भी सजग ऐप पर अपलोड की जा रही है।
- **“आरएचबी ग्रीन” मोबाईल ऐप एवं वेबसाईट—**आवासन मण्डल द्वारा विकसित किये गये मोबाईल ऐपRHB Green एवं इसी नाम से विकसित की गयी वेबसाईट के माध्यम से गत वर्ष की भौति सिटी पार्क मानसरोवर, में वर्ष 2021 में भी जनभागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये। साथ ही प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार के सघन वृक्षारोपण करने के निर्देशानुसार मानसून की अवधि में सफलतापूर्वक वृक्षारोपण कराया गया।
- **“आरएचबी आवास” मोबाईल ऐप—**आवासन मण्डल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाईल ऐप “आरएचबी आवास” विकसित किया गया है जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 02.10.2021 को शुभारम्भ किया गया। सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो 31.03.2023 तक अनवरत जारी रहेगा। सर्वे के परिणामों के अनुरूप नयी आवासीय योजनाओं का सृजन किया जा सकेगा। 31 मार्च 2023 तक 10,840 प्रविष्टियां अंकित की गई हैं।
- **मुक्ताकाश जिम की स्थापना —**आवासन मण्डल की हस्तान्तरित एवं अहस्तान्तरित आवासीय योजनाओं में विकसित किये गये पार्कों में माननीय मुख्यमंत्री की पहल के तहत 125 मुक्ताकाश जिम स्थापित किये गये हैं। आवासन मण्डल के कार्यालयों में भी जिम स्थापित किये गये हैं।
- **नये बाजार / शॉपिंग सेंटर का विकास:**
 - आयुष मार्केट, प्रतापनगर—राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस सैक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर के समीप स्थित भूमि पर 54 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये गये जिसमें समस्त भूखण्डों का निस्तारण ई—ऑक्शन द्वारा किया गया है।

- राणा सांगा मार्केट, प्रताप नगर—सैकटर 28 जयपुर में राणा सांगा मार्ग पर स्थित भूमि पर 160 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाकर विकसित किये गये हैं। 44 भूखण्डों की नीलामी की जा चुकी है।
- आरएचबी आतिश मार्केट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.12.2019 को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु “आरएचबी आतिश मार्केट” का शुभारम्भ किया गया। योजना में कुल 89 वाणिज्यिक भूखण्ड एवं 3 कियोस्क नियोजित किये गये हैं योजना में विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नीलामी द्वारा 89 भूखण्डों तथा 03 कियोस्क का निस्तारण किया जाकर 72 भूखण्डों का कब्जा आवंटियों को सौंपा गया है।
- श्री झूलेलाल तिब्बती मार्केट, मानसरोवर—तिब्बती शरणार्थियों को 266 दुकानों का आवंटन, 59 दुकानों की खुली बिक्री योजना के तहत विक्रय, फूड कोर्ट की 6 दुकानों का ई-ऑक्शन द्वारा विक्रय। इस मृतप्राय मार्केट का जीर्णोद्धार पूर्ण कर मात्र नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को भव्य उद्घाटन।
- कोचिंग हब आर्केड, प्रताप नगर—कोचिंग हब परिसर के अग्रभाग में एक कोचिंग हब आर्केड का नियोजन किया गया है, जिसमें 03 तलों में 90 दुकानों (4.5x9.0 मी²) का निर्माण कार्य पूर्ण। 57 निर्मित शोरूमों एवं दो आवासीय तथा एक मिश्रित उपयोग के कुल 3 भूखण्डों का ई-ऑक्शन द्वारा निस्तारण कर रूपये 175 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया।
- ग्रीनवुड शॉपिंग आर्केड, प्रतापनगर—सैकटर 28 में राणा सांगा मार्ग पर 132 दुकानों का एक शॉपिंग आर्केड का नियोजन किया गया है, जिसका नीलामी द्वारा शीघ्र ही निस्तारण किया जायेगा।

15. आवासन मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ :-

15.1 मानसरोवर, जयपुर

जयपुर शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना विकसित की गयी थी। इस योजना में मार्च 2023 तक विभिन्न श्रेणी के 28023 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 28024 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27903 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। मानसरोवर में द्वारकादास मार्ग पर जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्णकर निर्मित 22 दुकानों का 05 वर्ष हेतु लीज पर आवंटन कर आवंटन पत्र आवंटियों को संभला दिये गये हैं। चौपाटी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया जाकर आमजन हेतु खोल दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में वृहद सिटीपार्क को विकसित करने की महत्वांकाक्षी परियोजना को लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया जाकर प्रथम चरण का कार्य पूर्ण है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। योजना में लगभग 40000 व.मी. भूमि पर फाउन्टेन स्क्वायर भी नियोजित किया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना की कुल लागत 110.00 करोड़ संभावित है। सिटीपार्क के प्रथम चरण का कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किया जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण दिनांक 21.10.2022 को किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण का कार्य अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। योजना में 65.00 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

15.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

वृत्त-तृतीय, जयपुर के अधीन इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अब तक आवास/फ्लैटों का कार्य प्रारम्भ कर 9734 आवास/फ्लैट पूर्ण किये जा चुके हैं, जिनमें से 9313 आवासों/फ्लैटों का आवंटन कर 8685 आवासों/फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। **मुख्यमंत्री जन आवास योजना** :— योजना में सैक्टर 07 के भूखण्ड संख्या GH-3 एवं GH-4 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बहुमंजिली आवासीय योजना का नियोजन किया गया है, जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया। योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को सम्पन्न किया गया। GH-3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 340, GH-4 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 104 तथा अल्प आय वर्ग के 288 फ्लैट निर्मित किये गये हैं। योजना की आवास आवंटन लॉटरी आयोजित की जा चुकी है। माह जून 2023 तक सभी आवंटियों को आवंटन पत्र जारी कर दिये जाएँगे। निवाई आवासीय योजनायोजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 25 अल्प आय वर्ग के 92 मध्यम आय वर्ग “अ” के 45 एवं द्वितीय फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 38 अल्प आय वर्ग के 165 मध्यम आय वर्ग “अ” के 39 मध्यम आय वर्ग “ब” के 12 तथा उच्च आय वर्ग के 30 स्वतंत्र आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रथम एवं द्वितीय चरण के आवासों का आवंटन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं।

15.3 वृत्त प्रताप नगर (सांगानेर /महला/वाटिका)

प्रताप नगर सांगानेर/महला (जयपुर) में अब तक 42674 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर 39741 आवास/फ्लैट पूर्ण किये गये हैं। इनमें से 34712 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। वर्तमान में प्रताप नगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 2933 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **वाटिका आवासीय योजना** :— ग्राम वाटिका में विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 337 आवास, अल्प आय वर्ग के 287 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 165 आवास हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 124 आवास, अल्प आय वर्ग के 94 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 33 आवास कुल 252 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।
- **मुख्यमन्त्री जन आवास योजना** :— सैक्टर-3, जोन-32 प्रताप नगर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 504 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 208 फ्लैट एंव सैक्टर-28 (G+11) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 480 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 576 फ्लैट्स हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। प्राप्त पंजीकरणों का वरियता निर्धारण किया जाकर योजनान्तर्गत सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है व निर्माण प्रगति पर है। आवंटन लॉटरी दिनांक 23.11.2022 द्वारा सैक्टर-3, जोन-32 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 489 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 198 फ्लैट, एंव सैक्टर-28 (G+11) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 452 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 516 फ्लैट्स का आवंटन कर दिया गया है, फ्लैट्स का निर्माण पूर्णता के निकट है।

• मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना :—माननीय मुख्यमन्त्री जी की पहल पर आवासन मण्डल के प्रताप नगर योजना में राज्य के शिक्षकों एवं प्रहरियों हेतु 20,925 वर्ग मी. पर क्रमशः 288—288 (कुल 576) बहुमंजिले आवासों (B+S+12) जिसमें प्रत्येक आवास का बिल्टअप एरिया 706 वर्ग फीट है मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना रूपये 15.70 लाख प्रत्येक फ्लैट की लागत पर नियोजित किये गये है। माननीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री द्वारा दिनांक 08.09.2022 को इस योजना का लोकार्पण किया जाकर 546 फ्लैट्स आवंटित कर 473 आवंटियों को कब्जा भी दिया जा चुका है।

- **जयपुर चौपाटी** :—प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-23 में जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर निर्मित 28 दुकानों का लीज पर आवंटन कर आवंटन पत्र आवंटियों को सम्भला दिया गया है। चौपाटी का लोकार्पण माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया जाकर आमजन हेतु खोल दिया गया है।
- **महला आवासीय योजना**:— महला आवासीय योजना का क्षेत्रफल लगभग 70.44 हैक्टेयर (279.00 बीघा) है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट, अल्प आय वर्ग के 1344 फ्लैट एवं मध्यम आय वर्ग—अ के 128 फ्लैट कुल 1584 फ्लैट (G+3) टाईप के फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **प्रताप नगर योजना, जयपुर में वृहद् कोचिंग हब का विकास**— प्रतापनगर सांगानेर योजना के हल्दी घाटी मार्ग स्थित सैक्टर 16 में पन्नाधाय सर्किल के पास 65,000 वर्गमीटर भूमि पर वृहद् कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 22.08.2020 को शिलान्यास किया गया है। परियोजना में निर्मित 90 शोरुमों में से कुल 57 शोरुमों का नीलामी से निस्तारण किया जा चुका है जिससे रु. 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त परिसर में नियोजित दो आवासीय भूखण्डों का ई—ऑक्शन द्वारा निस्तारण किया गया जिससे राशि रु.25 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। 05 संस्थानिक ब्लॉकों में सृजित 140 सम्पत्तियों की आवंटन प्रक्रिया में, प्रथम चरण में 37 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया है। इससे राशि रु.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। शेष 103 सम्पत्तियों से राशि रु.175 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इन 103 सम्पत्तियों के आवंटन हेतु पंजीकरण प्रक्रिया दिनांक 31.01.2023 तक जारी है। योजना में कुल राशि रु 135 करोड़ व्यय किया जा चुका है।
- **“एआईएस रेजीडेन्सी” आवासीय योजना**—स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सैक्टर-17 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर स्थित बहुमंजिले आवासीय योजना हेतु आरक्षित 17,860 वर्गमीटर के भूखण्ड पर “अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) रेजीडेन्सी” के तहत उच्च आय वर्ग के बहुमंजिले 180 फ्लैट्स (B1+B2+G+12) नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भर कर दिया गया है। मात्र 20 मुख्यमन्त्री द्वारा योजना का शिलान्यास दिनांक 11.08.2021 को किया गया। योजना के प्रथम चरण में मार्च 2023 तक रु. 87 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में अधिकारियों के रुझान को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल द्वारा सैक्टर 17 में ही “एआईएस रेजीडेन्सी (फेज-2)” नियोजित की गई, जिसमें कुल 114 फ्लैट्स

(B1+B2+G+12)का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के आवेदकों की वेब बेस्ड आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 12.05.2022 व 18.07.2022 को आयोजित की गई है। एआईएस रेजीडेन्सी में मार्च 2023 तक रु. 32 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- “एस. एस. रेजीडेन्सी”—एस.एस. रेजिडेंसी आवासीय योजना सैक्टर-19 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में 12537.05 वर्गमीटर में प्रस्तावित की गई है जिस पर लगभग 127 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह योजना अगस्त 2024 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इस योजना में उच्च आयवर्ग—प्रथम के 24 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग—द्वितीय के 60 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग—तृतीय के 91 फ्लैट्स का नियोजन किया गया है। योजना में उच्च आयवर्ग—प्रथम के 21 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग—द्वितीय के 54 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग—तृतीय के 50 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी दिनांक 23.12.2022 को किया जा चुका है शेष 50 फ्लैट्स का पुनः पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त परियोजना के निर्माण पर खर्च 88.59 करोड़ प्रस्तावित है।

15.4 जोधपुर

- **चौपासनी आवासीय योजना** :— चौपासनी योजना में कुल विभिन्न श्रेणीयों के 13103 स्वतन्त्र आवासों एवं 692 बहुमंजिले आवासों का निर्माण किया गया। 13099 स्वतन्त्र आवासों एवं 618 बहुमंजिले फ्लैट का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है। अधिशेष फ्लैटों का निस्तारण “बुधवार नीलामी उत्सव” के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में उद्यान अपार्टमेन्ट योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के (B+S+9) के 180 तथा मध्यम आय वर्ग—ब के (B+S+9) के 108 फ्लैटों की स्ववित्त पोषित नवीन पंजीकरण योजना हेतु पंजीकरण पुस्तिका का विमोचन दिनांक 01.03.2023 को माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा किया गया।
- **कुड़ी भगतासनी योजना**—जोधपुर कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में अब तक 15805 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 15805 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 15441 आवासों/फ्लैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 14306 आवासों/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **विवेक विहार योजना, जोधपुर** :—विवेक विहार योजना, जोधपुर में अब तक 1936 फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1936 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1834 फ्लैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 1021 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली**— वर्ष 2008 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा ग्राम बड़ली में 1100 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित की गयी। उक्त आवंटित भूमि में से 990 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 25.06.2009 को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त किया जाकर डीमार्केशन पश्चात् 833.49 बीघा भूमि योजना हेतु उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बड़ली आवासीय योजना के प्रथम चरण में माह फरवरी 2020 में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 335 एवं अल्पआय वर्ग के 153

कुल 488 आवासों हेतु महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना का शुभारम्भ करने के क्रम में पंजीकरण 24.02.2020 से 30.06.2020 तक प्राप्त किये गए थे। योजना के प्रथम चरण का शिलान्यास एवं द्वितीय चरण में मध्यम आय वर्ग (अ) के 152 आवासों हेतु योजना का शुभारम्भ दिनांक 22.08.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया।

- द्वितीय चरण हेतु पंजीकरण 01.09.2020 से 15.10.2020 तक प्राप्त किये गये तथा दिनांक 11.12.2020 को लॉटरी द्वारा 152 सफल आवेदकों की वरीयता निर्धारण किया गया। योजना में निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को सम्पन्न किया गया। योजना में 640 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 626 आवासों का आवंटन लॉटरी द्वारा सम्बन्धित आवेदकों को कर दिया गया है। इस योजना में 503 आवासों का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। वर्ष 2022–23 में 85 मकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
- **आबूरोड़ आवासीय योजना** :— आबू रोड में आकरा भाटा एवं मानपुर में आवासीय योजनाओं का निर्माण किया गया है। आकराभट्टा आबूरोड़ में विभिन्न आय वर्गों के कुल 629 मकानों का निर्माण कर 610 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड़ में 1075 आवासों का निर्माण किया जाकर 1057 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 998 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। मण्डल कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के 31, मध्यम आय वर्ग—ब के 7 तथा मध्यम आय वर्ग—अ के 17 कुल 55 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **जैसलमेर आवासीय योजना** :— कुल विभिन्न श्रेणीयों के 422 स्वतन्त्र आवासों एवं 84 बहुमंजिले आवासों का निर्माण कर 417 स्वतन्त्र आवासों एवं 65 बहुमंजिले फ्लैट का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **फलोदी आवासीय योजना** :— फलोदी आवासीय योजना में वर्ष 2004 में 112 बीघा भूमि का आवंटन किया गया इस तरह वर्ष 2009 में 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। इस भूमि पर कुल 1172 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1146 आवासों के भौतिक कब्जे सुपुर्द कर दिये गये हैं।

15.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाड़ी शहर में अब तक 6905 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। 6193 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है, 6173 आवासों/फ्लैट्स का आवंटन तथा 6079 आवासों/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है।

15.6 उदयपुर वृत्त के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ

- उदयपुर शहर में माह मार्च 2023 तक कुल 11993 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 11937 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 11914 आवासों का आवंटन कर 11849 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।
- भीलवाड़ा खण्ड के अन्तर्गत में मार्च 2023 कुल 8767 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 8680 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 8743 आवासों का आवंटन कर 8015 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

- **चित्तौड़गढ़ शहर** के अन्तर्गत माह मार्च 2023 तक कुल 4087 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 4087 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 4064 आवासों का आवंटन कर 4040 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।
- **बांसवाड़ा शहर** में माह मार्च 2023 तक कुल 2919 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2915 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2912 आवासों का आवंटन कर 2882 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।
- **झूंगरपुर शहर** में माह मार्च 2023 तक कुल 2282 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2282 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2275 आवासों का आवंटन कर 2275 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।

15.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा बारां में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30801 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया जा कर कुल 30787 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23586 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23581 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया जिसमें से 23568 आवासों का आवंटन किया जाकर 23526 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।

15.8 बीकानेर

- बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की अधीन पवनपुरी, मुक्ताप्रसाद नगर दो आवासीय योजनाएँ हैं जिन्हें वर्ष 2018–19 में नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। उपरोक्त योजनाओं में कुल 6465 आवासों का निर्माण प्रारम्भ कर 6445 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 6444 आवंटन किया जा चुका है तथा 6430 आवासों का भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है।

16 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी—2009 के अन्तर्गत उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी—2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 से अब तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ किये गये आवासों की संख्या
1	2009–10	8651
2	2010–11	2949
3	2011–12	3872
4	2012–13	8251
5	2013–14	6237
6	2014–15	5787
7	2015–16	3089
8	2016–17	16
9	2017–18	0
10	2018–19	0
11	2019–20	2
12	2020–21	3483
13	2021–22	2527
14	2022–23	2734
कुल योग		47598

17Real Estate Regulatory Authority (RERA)

RERA Actके तहत राज्य सरकार द्वारा लागू (RERA Rule) की अनुपालना में मण्डल द्वारा भी अपने आवंटियों को पारदर्शिता एंव गुणवत्ता पूर्ण आवास निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022–23 के दौरान 31 मार्च 2023 तक कुल 16नई परियोजनाएँ रेरा अधिनियम में पंजीकृत करवायी गयी। आवासन मंडल की अब तक कुल 94 परियोजनाएँ रेरा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुकी है। विवरण मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ए.आई.एस. रेजीडेन्सी आवासीय योजना



तालिका I

मंडल की स्थापना से मार्च 2023 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची

1. आबू रोड़	24. दौसा	47. पिण्डवाड़ा
2. अजमेर	25. धौलपुर	48. प्रतापगढ़
3. अकलेरा	26. झूंगरपुर	49. रायला
4. अलवर	27. गुलाबपुरा	50. राजसमंद
5. अटरू	28. हनुमानगढ़	51. रामगंजमण्डी
6. बालोतरा	29. जयपुर	52. श्रीगंगानगर
7. बांसवाड़ा	30. जैसलमेर	53. सवाई माधोपुर
8. बारां	31. झालावाड़ा	54. सागवाड़ा
9. अन्ता	32. झालरापाटन	55. सलुम्बर
10. बड़ी सादड़ी	33. झुंझुनू	56. सीकर
11. ब्यावर	34. जोधपुर	57. सिरोही
12. भरतपुर	35. किशनगढ़	58. सिवाना
13. भवानीमण्डी	36. कोटा	59. सुमेरपुर
14. भीलवाड़ा	37. कोटपुतली	60. सुनेल
15. भिण्डर	38. लाखेरी	61. सुरतगढ़
16. भिवाड़ी	39. नागौर	62. टोंक
17. बीकानेर	40. नैनवा	63. उदयपुर
18. बूंदी	41. नसीराबाद	64. मांगरोल
19. छबड़ा	42. नाथद्वारा	65. बाड़मेर
20. छीपाबड़ौद	43. निम्बाहेड़ा	66. निवाई
21. चित्तौड़गढ़	44. पाली	67. शाहपुरा
22. चौमेहला	45. फलौदी	
23. चूरू	46. परतापुर	

- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई—मेल की सूची आवासन मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कान्फ्रेसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची आवासन मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

तालिकाII(a)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	604	601	337	162	55	1759	604	601	320	155	24	1704
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	4998	1681	1149	991	827	350	4998
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	372	0	0	0	0	372
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2618	1827	1688	1000	375	7508
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	286	103	25	9	3	426
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	1226	417	356	218	207	28	1226
7	बांसवाड़ा	1178	996	413	268	72	2927	1174	996	413	264	72	2919
8	बारां	626	166	62	7	0	861	626	166	62	7	0	861
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	64	91	32	7	12	206
10	बड़ी सादड़ी	131	71	5	0	0	207	131	71	5	0	0	207
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	2362	878	522	393	420	149	2362
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	1283	355	453	315	120	40	1283
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	126	27	25	0	0	178
14	भीलवाड़ा	2999	2664	812	765	547	7787	2999	2664	803	735	499	7700
15	भिण्डर	46	63	8	5	2	124	46	63	8	5	2	124
16	भिवाड़ी	2475	1905	1005	573	947	6905	2235	1433	1005	573	947	6193
17	बीकानेर	1861	1759	1208	1193	444	6465	1861	1751	1196	1193	444	6445
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	576	384	192	0	0	0	576
19	चौमहला	132	100	0	0	0	232	132	100	0	0	0	232
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	651	279	249	72	28	23	651
21	छीपा बड़ौद	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
22	चित्तौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	902	505	363	155	125	2050
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	49	840
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	245	66	84	1379
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	1348	443	397	259	231	17	1347
26	झंगरपुर	417	809	771	207	78	2282	417	809	771	207	78	2282
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	159	177	134	24	7	501
28	हनुमानगढ़	1463	1154	592	790	361	4360	1463	1154	592	790	361	4360
29	जयपुर	25372	26740	16719	17192	12939	98962	23802	25142	16719	17192	12442	95297
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	506	224	93	146	21	22	506
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	165	50	0	0	0	215
32	झालावाड़	170	232	93	29	6	530	170	232	93	29	6	530
33	झुङ्गूनू	708	653	167	236	46	1810	708	653	163	236	46	1806
34	जोधपुर	13080	10643	5212	4017	2641	35593	13080	10639	5170	3995	2620	35504
35	किशनगढ़	1138	452	281	181	88	2140	1138	452	281	181	88	2140
36	कोटा	8287	6294	3965	3425	1615	23586	8287	6294	3965	3422	1613	23581
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	383	221	86	12	1204
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	876	299	252	155	101	69	876
39	लाखेरी	234	104	43	16	9	406	229	104	43	16	9	401

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	मध्यम आय वर्ग अ	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	मध्यम आय वर्ग अ	उच्च आय वर्ग	योग
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	244	177	59	8	0	0	244
41	नागौर	1421	857	514	161	28	2981	1417	781	340	138	21	2697
42	नैनवा	128	200	42	16	12	398	128	200	42	16	12	398
43	नसीराबाद	474	323	119	95	61	1072	474	323	119	95	61	1072
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहेड़ा	363	363	253	98	87	1164	363	363	253	98	87	1164
46	निवाई	63	257	84	12	31	447	0	0	0	0	0	0
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
48	परतापुर	274	351	111	76	17	829	274	351	111	76	17	829
49	फलौदी	623	245	174	88	42	1172	623	245	174	88	42	1172
50	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	343	138	40	101	42	21	342
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	151	148	48	666
52	रायला	257	50	0	0	0	307	257	50	0	0	0	307
53	राजसमन्द	407	313	337	161	71	1289	407	313	337	161	71	1289
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	679	418	133	52	58	14	675
55	श्रीगंगानगर	148	24	0	0	0	172	148	24	0	0	0	172
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	302	33	0	1260
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
58	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	1086	201	750	85	30	15	1081
59	सलुम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287
60	सीकर	385	322	346	138	62	1253	385	322	346	138	62	1253
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	179	281	95	99	22	676
62	सिवाना	151	52	15	10	0	228	151	52	15	10	0	228
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	43	4	154
64	सुनैल	134	110	66	39	64	413	134	110	66	39	64	413
65	सूरतगढ़	672	247	240	226	152	1537	672	247	240	226	152	1537
66	टोंक	940	271	114	68	54	1447	940	271	114	68	54	1447
67	उदयपुर	3049	3169	1749	1346	748	10061	3049	3113	1749	1346	748	10005
	योग	85371	72957	42919	35941	22865	260053	83484	70482	42576	35836	22227	254605

(माह मार्च 2023 तक)

तालिका II(b)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	599	601	320	155	23	1698	554	583	299	150	22	1608
2	अजमेर	1681	1149	985	827	350	4992	1679	1142	974	827	350	4972
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	347	0	0	0	0	347
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2610	1811	1676	990	372	7459
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	273	103	24	8	3	411
6	बालोतरा	416	345	216	206	28	1211	416	330	216	206	28	1196
7	बांसवाड़ा	1174	996	407	263	72	2912	1174	991	395	260	62	2882
8	बारां	626	166	62	7	0	861	569	138	52	5	0	764
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	63	91	32	7	12	205
10	बड़ी सादड़ी	122	69	5	0	0	196	119	69	5	0	0	193
11	ब्यावर	866	519	390	420	149	2344	866	515	390	398	145	2314
12	भरतपुर	355	453	315	120	38	1281	355	453	314	120	38	1280
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	125	27	25	0	0	177
14	भीलवाड़ा	2998	2664	792	764	545	7763	2792	2567	665	732	496	7252
15	भिण्डर	46	62	8	5	2	123	46	59	8	3	2	118
16	भिवाड़ी	2235	1433	1005	571	929	6173	2186	1414	993	566	920	6079
17	बीकानेर	1861	1751	1196	1193	443	6444	1861	1751	1196	1187	435	6430
18	बाड़मेर	266	124	0	0	0	390	3	7	0	0	0	10
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	9	12	0	0	0	21
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	579	118	137	16	9	6	286
21	छीपा बडौद	199	0	0	0	0	199	5	0	0	0	0	5
22	चितौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	900	505	363	151	115	2034
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	48	839
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	244	66	82	1376
25	धौलपुर	421	380	257	228	17	1303	328	287	255	227	17	1114
26	झंगरपुर	411	809	770	207	78	2275	411	809	770	207	78	2275
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	158	173	124	24	7	486
28	हनुमानगढ़	1463	1141	582	785	361	4332	1460	1135	575	772	354	4296
29	जयपुर	23568	24795	16636	17142	12470	94611	22179	22085	16159	17011	12185	89619
30	जैसलमेर	224	93	142	21	22	502	224	93	124	21	20	482
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	159	47	0	0	0	206
32	झालावाड़	170	232	93	29	6	530	168	228	84	29	6	515
33	झुंझूनू	708	653	167	234	46	1808	708	653	163	233	46	1803
34	जोधपुर	12879	10531	5064	3886	2589	34949	11899	9739	4770	3884	2573	32865
35	किशनगढ़	1120	447	281	180	88	2116	1112	446	281	179	88	2106
36	कोटा	8287	6294	3965	3419	1608	23573	8282	6288	3954	3407	1595	23526
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	380	221	86	12	1201

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	875	294	251	152	97	67	861
39	लाखेरी	231	104	43	16	9	403	227	104	43	16	8	398
40	मांगरोल	148	44	6	0	0	198	1	1	0	0	0	2
41	नागौर	1417	844	506	161	27	2955	1377	761	331	137	21	2627
42	नैनवा	128	200	42	14	9	393	125	198	30	2	4	359
43	नसीराबाद	472	323	119	95	61	1070	469	319	117	94	61	1060
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहड़ा	363	363	250	97	87	1160	362	356	250	97	87	1152
46	निवाई	24	90	43	12	30	199	0	0	0	0	0	0
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
48	परतापुर	274	348	108	50	15	795	254	348	103	50	15	770
49	फलौदी	621	245	173	87	42	1168	613	240	168	85	40	1146
50	पिण्डवाड़ा	138	40	100	42	21	341	137	36	99	42	21	335
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	148	148	46	661
52	रायला	257	50	0	0	0	307	221	27	0	0	0	248
53	राजसमन्द	407	313	325	161	71	1277	407	313	325	160	71	1276
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	58	14	675	291	125	47	47	12	522
55	श्रीगंगानगर	148	24	0	0	0	172	19	19	0	0	0	38
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	300	33	0	1258
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
58	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	1081	197	743	83	22	7	1052
59	सलुम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287
60	सीकर	385	322	346	137	61	1251	385	322	346	135	61	1249
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	176	281	95	99	22	673
62	सिवाना	10	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	5
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	41	4	152
64	सुनैल	134	107	66	39	64	410	132	95	61	34	61	383
65	सूरतगढ़	669	246	239	223	141	1518	669	242	238	214	131	1494
66	टोंक	936	270	114	68	51	1439	936	270	114	68	51	1439
67	उदयपुर	3048	3112	1749	1345	748	10002	3048	3050	1747	1345	746	9936
	योग	82664	69981	42500	35669	22251	253065	78498	65473	41149	35313	21749	242182

(माह मार्च 2023 तक)

तालिकाIII(a)
नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	81211	69532	41759	35666	22144	250312
2019–20	2	0	0	114	11	127
2020–21	1446	1323	713	51	100	3633
2021–22	1343	825	359	32	206	2765
2022–23	1369	1277	88	78	404	3216
योग	85371	72957	42919	35941	22865	260053

तालिकाIII(b)
आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क.वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	81130	68125	41529	35620	22072	248476
2019–20	73	0	33	16	14	136
2020–21	0	1302	18	11	4	1335
2021–22	777	437	757	170	121	2262
2022–23	1504	618	239	19	16	2396
योग	83484	70482	42576	35836	22227	254605

तालिकाIII(c)
आवासों का आवंटन (आय वर्गवार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	79634	67974	40828	35111	21655	245202
2019–20	67	37	90	34	44	272
2020–21	231	155	329	208	117	1040
2021–22	1070	761	955	149	132	3067
2022–23	1662	1054	298	167	303	3484
योग	82664	69981	42500	35669	22251	253065

तालिकाIII(d)
आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	73014	61070	38020	33840	20733	226677
2019–20	685	383	509	288	155	2020
2020–21	1591	1280	1072	584	368	4895
2021–22	1233	1185	607	336	255	3616
2022–23	1975	1555	941	265	238	4974
योग	78498	65473	41149	35313	21749	242182

तालिकाIV(a)

(स्थिति दिनांक 31.03 .2023)

जिन प्रकरणों में धारा—27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा—4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है :

क्रं.सं.	अवाप्ताधीन भूमि का विवरण	रकबा (हैक्टेयर)
1.	सैती जिला वित्तोडगढ़	20.211
2	फागी जिला जयपुर	35.55
3	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के छूटे हुए खसरा	06.44
4	ग्राम महला—चाणचुक्या, जयपुर	175.13
5	बहरोड उर्फ बलराम तहसील बहरोड	55.01
6	ग्राम व तहसील नीम का थाना जिला, सीकर	47.51
7	ग्राम डूंगरपुर गोकुलपुरा व भाटपुरा जिला डूंगरपुर	29.62
8	सलूम्बर, दूदर, जोधासागर की भागड़ एवं नया गांव जिला उदयपुर	38.48
कुल रकबा		407.951

तालिकाIV(b)

जिन प्रकरणों में धारा— 27 अथवा धारा —4(1) के तहत अधिसूचना जारी नहीं हुई है:

क्रं.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर	674.97
2	ग्राम खोनागोरियान / भावगढ़ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर	72.02
3	ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं ठोड़ी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	103.64
4	हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	22.88
5.	ग्राम नान्दड़ा कलां, उचियारड़ा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोडेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर	851.76
6.	ग्राम मोगड़ाकला, तनावड़ा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर	465.04
7	पाली	125.85
8	ग्राम कोहला, हनुमानगढ़	107.525
9	ग्राम छत्रपुरा—बूंदी, जिला बूंदी	74.22
10	ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर	728.48
11	रेनवाल, फेज—द्वितीय	894.18
12	डूंगरपुर, जिला बीकानेर	63.49
13	ग्राम ढीकली एंव बाड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	193.5063
14	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर	142.8687
15	ग्राम थड़ा, तहसील तिजारा (भिवाड़ी)	50.56
16	ग्राम नैनसुख बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर	46.44
17	शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द	162.45
18	सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा	6.53
योग		4786.41

तालिकाIV(c)

विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण :

क्रं.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1.	पाली चक नं. 1	17.59
योग		17.59

तालिकाV
वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्थान आवासन मंडल को प्राप्त पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
2022	Skoch Star of Governance Award 2022	Indian Habitat Center, New Delhi	83 वा समिट में आवासन मंडल की सफलताओं, कायाकल्प तथा नवाचारों के कारण
2022	Rajasthan Best Employer Brand Awards 2022	World H.R.D. congress	कार्मिक प्रबन्धन, कार्यनीति के उत्कृष्ट सम्मिश्रण, नवाचारों तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनायी गयी रि-इंजीनियरिंग तथा आमूल चूल सुधारों हेतु
2022	Premium Edition 2022	World Book of Records, London	वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अल्पावधि में 13,583 आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का ऑनलाइन माध्यम (ई-आक्शन एवं ई बिड सबमिशन) द्वारा निर्सारण हेतु
2022	Premium Edition 2022	World Book of Records, London	जयपुर चौपाटियों में आगन्तुकों का सर्वाधिक संख्या में आगमन का कीर्तिमान स्थापित किये जाने हेतु
2022	Gold Category-2022	SKOCH GROUP INDIA	राजस्थान आवासन मंडल को विगत तीन वर्ष में अपने अनूठे प्रयासों से संस्था को नवाचारों, कायाकल्प एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप संस्थान को (Revival & Strengthening) किये जाने हेतु आवासन आयुक्त को देश के प्रतिष्ठित अवार्ड Skoch Award 2022 से हाउसिंग सैक्टर की 'गोल्ड श्रेणी' में बैक टू बैक दुसरे वर्ष में सम्मानित किया गया।
2023	Visionary Leader Award 2023	The World HRD Congress	Dream Companies to Work for श्रेणी में आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया।
2023	Global CSR Excellence & leadership Award	The World HRD Congress	Design Mobile Apps for Social Good श्रेणी में RHB Green App विकसित किये जाने हेतु।
2023	Valuable Contribution Awards	Zee News Rajasthan	23.03.2023 को होटल मेरियट जयपुर में जी न्यूज राजस्थान द्वारा वार्षिक राजस्थान कार्यक्रम में अमूल्य योगदान हेतु।

**तालिकाVI
अंकेष्टित लेखे**

RAJASTHAN HOUSING BOARD

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2023

COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2022-22	LIABILITIES	DETAILS	AMOUNT (RUPEES)	COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2021-22		ASSETS	DETAILS	AMOUNT (RUPEES)
				(A) PROPERTIES (WORKS) B/F (2021-22)	(B) PROPERTIES (WORKS) DURING THE YEAR			
0.00	CAPITAL LOAN (AS PER STATEMENT NO II) (CR)		14478062635.26	1884634090.06	7005644662.46	AD. DURING THE YEAR	3144082033.96	743300649.37
11478653262.77	DEPOSITS (AS PER STATEMENT NO III)		143916428.35	6545196518.36	6545196518.36	LESS SALES WRITTEN OFF	9566127810.84	
71451.00	EMPLOYEES P.E.F.P.A (AS PER STATEMENT NO III)		0.00	3144082033.96	3144082033.96	NET - PROPERTIES (AS PER STATEMENT NO II DR)	1060564872.49	
988155453.98	ANCILLARY SERVICE SCHEME FUND (AS PER STATEMENT NO III)			945443045.75	945443045.75	SUSPENSE "WORKS" (2021-2022)	1154236067.53	
0.00	DEBENTURE REDEMPTION FUND (AS PER STATEMENT NO III)			37750600.04	28131641.50	ADD. DURING THE YEAR	404917256.86	
3750600.04	MAINTENANCE RESERVE FUND (AS PER STATEMENT NO III)			1480140936.07	9338819.72	LESS ADJUSTED DURING THE YEAR	51878633.86	
1115259508.80	CONTIGUOUS EQUALIZATION RESERVE FUND			1452314674.40	1154236067.53	NET - SUSPENSES WORKS (AS PER STATEMENT NO II DR)	1040366845.53	
1469779771.27	(ADD : DURING THE YEAR (CHARGED TO WORKS))			38815767.00	4296318101.49	TOTAL (A+B)	2101321857.02	
-101162444.00	LESS : C.E.R UTILISED			289569843.47	172861570.31	FIXED ASSETS B/F (2021-22)	156775570.76	
1480140936.07	NET : C.E.R (AS PER STATEMENT NO III)			45544507.29	8708135.56	ADD. DURING THE YEAR	7215590.50	
15335159.18	SUSPENSE				24824335.11	LESS : DEPRECIATION	21114565.81	
					156735370.76	NET - FIXED ASSETS (AS PER STATEMENT NO II DR)	142816604.45	
				339650079.31	0.00	MISC. EXPENSES CAPITALISED B/F (2021-2022)	0.00	
				500000000.00	0.00	0.00 LESS : TRANSFERRED TO REVENUE A/C	0.00	
				0.00	0.00	0.00 NET : MISC. EXPENSES CAPITALISED	0.00	
				659731409.62	659731409.62	ADVANCES (AS PER STATEMENT NO III)	107104367.88	
				206721565.22	206721565.22	SUNDRY DEBTORS	218285555.55	
						(HIRE PURCHASE INSTALMENTS INCLUDING INTEREST)		
406950043.91	INTEREST DUE BUT NOT PAID							
1500000000.00	LIABILITY FOR PENSION FUND							
0.00	LIABILITY FOR INCOME TAX							
0.00	LIABILITY FOR FBT							
	UNLIQUIDATED LIABILITIES (UPTO 2021-2022)							
1030000.00	PAY & ALLOWANCES							
668000.00	AUDIT FEES							
0.00	OTHERS							
1698000.00	UNLIQUIDATED LIABILITIES (2022-2023)							
0.00	PAY & ALLOWANCES							
0.00	AUDIT FEES							
0.00	OTHERS							
0.00	TOTAL UNLIQUIDATED LIABILITIES							
6788626999.03	REVENUE SURPLUS B/F (2021-2022)				570857441.70	REMITTANCES TO UNITS TRANSIT	669519323.84	
0.00	LES : INCOME TAX				146108041.37	INVESTMENT (AS PER STATEMENT NO III & IV)	146108041.37	
211646366.98	ADD : REVENUE SURPLUS B/F (2022-2023)				15746000.00	58885.30 (CASH IN HAND)	34865.30	
	(TRANSFERRED FROM NET REVENUE A/C)					13708752817.51 BALANCES WITH BANK (INCLUDING LTD. STD)	1943518511.84	
22522552992.37	TOTAL				27093567197.25	22522552992.97	TOTAL	27003587197.25

Accounting policies and notes on Accounts as per Statement No. V

As per our audit report of even date attached
For Gupta Aspirin & Associates Chartered Accountants

PLACE : JAIPUR
DATE :

जिनेश कुमार जैन
विद्युत सत्यावकार
गवर्नर आवासन मंडळ जयपुर

Signature of Chairman & Director
Signature of Secretary

Housing & Admin. Officer
Chairman & Director
Gupta Aspirin & Associates
Chartered Accountants

Signature of Partner
Signature of Partner
Gupta Aspirin & Associates
Chartered Accountants

Date : 25/03/2023
परामर्शदाता : 234140366969PPC-765


Signature of Partner
Signature of Partner
Gupta Aspirin & Associates
Chartered Accountants



RAJASTHAN HOUSING BOARD

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-2023

COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2021-22	PARTICULARS (EXPENDITURES)	DETAILS	AMOUNT (RUPEES)	COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2021-22		PARTICULARS (RECEIPTS)	DETAILS	AMOUNT (RUPEES)
				LAST YEAR 2021-22	LAST YEAR 2021-22			
77966819.00	(II) TO PAY & ALLOWANCES		111049670.14	0.00 BY GRANTS	798628217.30	0.00 BY FEES, FINES & FORFEITURES	72702185.16	0.00
4801118.00	(III) TRAVELLING ALLOWANCE		758351859.00	0.00 BY FEES, FINES & FORFEITURES	5988234.00	0.00 BY PENAL INTEREST ON LATE DEPOSITS	16504324.75	0.00
31371618.64	(IV) MEDICAL ALLOWANCE		28570401.00	0.00 BY LEAVE SALARY & PENSION CONTRIBUTION	63716835.00	0.00 BY SALE OF PLANS, TENDERS ETC.	4874448.30	0.00
3542455.00	(V) LEAVE SALARY & PENSION CONTRIBUTION		2317852.00	1115879.00 BY RECOVERY OF EXPENDITURES	2785200.00	2785200.00 BY SALE OF APPLICATION FORMS ETC.	24274713.88	696621.00
7060573.00	(VI) CONTRIBUTION TO EMPLOYEES P.F.		0.00	1318744728.71 BY INTEREST RECEIVED	1318744728.71 LESS - AMOUNT TRANSFERRED TO NET REVENUE A/C	1550951082.79	1550951082.79	140044740.32
0.00	(VII) FEES, & ALLOWANCES TO BOARD MEMBERS		13568068.14	0.00	1318744728.71 LESS - AMOUNT TRANSFERRED TO NET REVENUE A/C	1318744728.71 LESS - AMOUNT TRANSFERRED TO NET REVENUE A/C	535151973.19	535151973.19
215623609.42	(VIII) OTHER ITEMS		173464421.00	0.00	0.00	0.00 BY OTHER RECEIPTS	4818587.80	4818587.80
85104828.00	(IX) CONTRIBUTION TO EMPLOYEES PENSION FUND		349545253.92	1508012007.02 BY REVENUE DEFICIT	3143 (27.46)	1508012007.02 BY REVENUE DEFICIT	1508012007.02 BY REVENUE DEFICIT	1508012007.02 BY REVENUE DEFICIT
7599812.04	(X) OFFICE CONTINGENCIES		9942494.40	141585653.66	141585653.66	141585653.66	141585653.66	141585653.66
3167008.84	(XI) STATIONERY & PRINTING		3143 (27.46)	19178814.44	19178814.44	19178814.44	19178814.44	19178814.44
508257.00	(XII) BOOKS & PERIODICALS		531483.00	14686401.00	14686401.00	14686401.00	14686401.00	14686401.00
83876335.14	(XIII) ADVERTISING & PUBLICITY		14686401.00	330304.00	330304.00	330304.00	330304.00	330304.00
117908966.46	(XIV) LEGAL EXPENSES		14686401.00	37178523.76	37178523.76	37178523.76	37178523.76	37178523.76
9579895.50	(XV) RENT INCLUDING LIGHT AND WATER CHARGES		14686401.00	2059648.58	2059648.58	2059648.58	2059648.58	2059648.58
0.00	(XVI) OFFICE		14686401.00	1709092.90	1709092.90	1709092.90	1709092.90	1709092.90
0.00	(XVII) CHAIRMAN'S RESIDENCE		14686401.00	448600.00	448600.00	448600.00	448600.00	448600.00
35972532.58	(XVIII) MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING		14686401.00	2332231.58	2332231.58	2332231.58	2332231.58	2332231.58
24346523.00	(XIX) CONVEYANCE CHARGES		14686401.00	653034.42	653034.42	653034.42	653034.42	653034.42
1442503.14	(XX) MAINTENANCE & RUNNING OF VEHICLES		14686401.00	85184521.22	85184521.22	85184521.22	85184521.22	85184521.22
1336978.00	(XXI) LIVERIES		14686401.00	1562566.00	1562566.00	1562566.00	1562566.00	1562566.00
4224000.00	(XXII) FEES TO AUDITORS		14686401.00	49041095.31	49041095.31	49041095.31	49041095.31	49041095.31
1341471.00	(XXIII) ENTERTAINMENT & HOSPITALITY (1902719.58 + 429512.00)		14686401.00	284111.00	284111.00	284111.00	284111.00	284111.00
2214155.40	(XXIV) REPAIR & MAINTENANCE OF FURNITURE & OTHER APPLIANCES		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70262632.44	(XXV) OTHER ITEMS		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7488230.00	INTEREST		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7488230.00	TO INTEREST PAID		14686401.00	20564682.81	20564682.81	20564682.81	20564682.81	20564682.81
-308402877.30	AMOUNT CAPITALISED		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-300913641.30	AMOUNT TRANSFERRED TO NET REVENUE A/C		14686401.00	284111.00	284111.00	284111.00	284111.00	284111.00
0.00	TO EXPENDITURE ON ISSUE OF DEBENTURES & RESEARCH		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467382.00	TO EXPENDITURE ON INVESTIGATION & RESEARCH		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TO MISCELLANEOUS EXPENSE / WRITTEN OFF		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TO MIS-C. GRANTS		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TO LOSSES WRITTEN OFF		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TO SUSPENSE		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24230492.86	TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS		14686401.00	29400.00	29400.00	29400.00	29400.00	29400.00
43432.00	TO MAINTENANCE & REPAIRS OF TOOLS & PLANTS		14686401.00	570274.00	570274.00	570274.00	570274.00	570274.00
557422.25	ADD - DEPRECIATION ON TOOLS & PLANTS		14686401.00	598674.00	598674.00	598674.00	598674.00	598674.00
0.00	LESS - EXPENDITURE CHARGED TO WORKS		14686401.00	598674.00	598674.00	598674.00	598674.00	598674.00
600854.25	NET WORKS & PLANTS		14686401.00	-664828465.25	-664828465.25	-664828465.25	-664828465.25	-664828465.25
600854.25	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE CAPITALISED		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-46885857.12	TO REVENUE SURPLUS (GROSS)		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(TRANSFERRED TO NET REVENUE A/C)		14686401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1688486639.62	TOTAL		14686401.00	1688486639.62	1688486639.62	1688486639.62	1688486639.62	1688486639.62

As per our audit report of even date attached
For Gupta Jasaria & Associates Chartered Accountants

Partner
Date : 23/09/2023
DRAFT NO.: 23414087465
PRINT NO.: 23414087465


(राजस्थान राजसभा विभाग)
राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


लोक प्रशासन विभाग
राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


वित्त विभाग
राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


प्रशासन विभाग
राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


प्रशासन विभाग
राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी


राजस्थान सरकार
राजस्थान अधिकारी

RAJASTHAN HOUSING BOARD

NET REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-2023

COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2021-22	PARTICULARS (EXPENDITURES)	DETAILS	AMOUNT (RUPES)	COMPARATIVE FIGURES OF LAST YEAR 2021-22		DETAILS	AMOUNT (RUPES)
				YEAR 2021-22	BY BALANCE B/F FROM REVENUE ACCOUNT		
150801200702 TO BALANCE B/f FROM REVENUE ACCOUNT			535516793.19				
-300913647.30 (TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT)			-48845826.31	1318744726.71 (TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT)	BY INTEREST RECEIVED		1550951082.79
TO OTHER ITEMS TO BE SPECIFIED					0.00 BY OTHER ITEMS TO BE SPECIFIED		0.00
0.00 (i) TRANSFERRED TO CER		125000000.00					
0.00 (ii) EXPENDITURE ON BEAUTIFICATION OF CITIES		0.00					
0.00 (iii) REBATE IN COST OF HOUSES ON SALE		0.00					
0.00 (iv) PROVISION FOR PENSION FUND		0.00					
0.00 (v) PROVISION FOR I-TAX		0.00					
0.00 (vi) FBT		TOTAL	125000000.00				
0.00			253892815.91				
211646366.99 TO NET REVENUE SURPLUS (TRANSFERRED TO BALANCE SHEET)				1550951082.79	BY NET DEFICIT (TRANSFERRED TO BALANCE SHEET)		
1418744726.71		TOTAL		1418744726.71	TOTAL		1550951082.79

Accounting policies and notes on Accounts as per Statement No. V
As per our audit report of even date attached

For Gupta Jasoria & Associates Chartered Accountants


Gupta Jasoria & Associates
F. No. 0164/12C
Chartered Accountants

Date : 24/05/2023
UDIN : 23410096879TPC-1465


HOUSING COMMISSIONER
FINANCIAL ADVISOR
प्रियोदय कुमार जैन
विदेशी संस्कारक
राज अवासन मंडल राजस्थान
राज अवासन मंडल राजस्थान

PLACE : JAIPUR
DATE :

RAJASTHAN HOUSING BOARD

STATEMENT NO. 1

STATEMENT OF LOAN AS ON 31st MARCH 2023

S.NO.	DESCRIPTION OF LOAN	BALANCE OF LOAN AT THE END OF LAST YEAR 2021-22	AMOUNT BORROWED DURING 2022-23	RATE OF INTEREST	AMOUNT REPAYED DURING 2022-23	BALANACE LOAN AS ON 31.03.2023
1	LOAN FROM BANKS	0.00	0.00	-	0.00	0.00
1) NATIONAL HOUSING						
	TOTAL	0.00	0.00	-	0.00	0.00

PLACE : JAIPUR
DATE :

१३ अप्रैल २०२३
राजस्थान आवासन संगठन जयपुर
• वित्तीय समाजकार
• फाँड़ी बैंक

A. B.
HOUSING COMMISSIONER
राजस्थान पाल नीति
आवासन आड्डा

L. A. C. Patel
CHAIRMAN
(राजस्थान आवासन आड्डा)
राजस्थान आवासन
राजस्थान आड्डा



RAJASTHAN HOUSING BOARD

STATEMENT NO. II

CAPITAL ACCOUNT AS ON 31st MARCH 2023

CREDIT		PARTICULARS	BALANCE LOANS UP TO LAST YEAR 2021-2022	AMOUNT RECEIVED DURING THE YEAR 2022-2023	AMOUNT REPAYED DURING THE YEAR 2022-2023	BALANCE LOAN AS ON 31ST MARCH 2023
S.NO.						
I	LOANS					
	1 LOAN FROM STATE GOVERNMENT		0.00	0.00	0.00	0.00
	2 LOAN FROM HUDCO		0.00	0.00	0.00	0.00
	3 PUBLIC LOAN					
	a) SECURED DEBENTURES		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) UNSECURED DEBENTURES		0.00	0.00	0.00	0.00
	4 LOANS FROM BANKS		0.00	0.00	0.00	0.00
	5 LOANS FROM LIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	6 OTHER LOANS		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LOANS		0.00	0.00	0.00	0.00
II	GRANTS					
III	SALE PROCEEDS					
IV	WITHDRAWAL FROM INTERNAL RESOURCES					
V	OTHER RECEIPTS OF CAPITAL A/C TO BE SPECIFIED IN DETAIL					
	TOTAL (II TO V)		0.00	0.00	0.00	0.00
	LESS :					
	PROVISION FOR REPAYMENT OF CAPITAL (DEBENTURE REDEMPTION FUND)					
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

PLACE : JAIPUR
DATE :

FINANCIAL CONTROLLER
* वित्तीय नियंत्रक

HOUSING DEVELOPMENT BOARD
राजस्थान आवास बोर्ड

CHAIRMAN
राजस्थान आवास बोर्ड



[Signature]
JASORIA &
GUPTA ASSOCIATES
Chartered Accountants
राजस्थान आवास बोर्ड, जयपुर

RAJASTHAN HOUSING BOARD

**STATEMENT NO. II
CAPITAL ACCOUNT AS ON 31st MARCH 2023**

Amt. in Rs.

DEBIT	PARTICULARS	NET EXPENDITURE UPTO LAST YEAR 2021 2022	EXPENDITURE DURING THE YEAR 2022-2023	SALES WRITTEN OFF DURING THE YEAR 2022-2023	NET EXPENDITURE UPTO 31st MARCH 2023
A) I	EXPENDITURE ON CAPITAL WORKS				
i) COST OF LAND	6792578640.50	11465754.00		0.00	6804044394.50
ii) COST OF DEVELOPMENT	18569083330.11	2430551516.40		0.00	2099634846.51
iii) COST OF CONSTRUCTION	52815634780.71	3566240691.03		0.00	5638175471.74
iv) OTHER DIRECT CHARGES	34626545.04	97128456.00		0.00	3559782960.38
v) INDIRECT CHARGES	24167678613.42	1377614231.94		0.00	25645292845.36
TOTAL	105807629869.12	7483000649.37		0.00	113290630518.49
LESS : SALES WRITTEN OFF	102663547835.16	9566127810.84		0.00	112229675646.00
NET WORKS(A)	3144082033.96	-2083127161.47		0.00	1060954872.49
B) IV	SUSPENSE				
i) STOCK	50177157.61	0.00		0.00	50177157.61
ii) PURCHASES	68368.27	0.00		0.00	68368.27
iii) DEPARTMENTAL MANUFACTURING	0.00	0.00		0.00	0.00
iv) SERVICE ADVANCES	136474834.00	24791484.00		101454514.00	59811864.00
v) STORE ADVANCES	41964704.12	381025766.86		150708.00	41813996.12
vi) OTHER ADVANCES	925560943.53	404917250.86		41718111.86	888495598.53
TOTAL SUSPENSE (B)	4298318101.49	-1678209910.61		518786333.86	1040366984.53
TOTAL (A+B)				518786333.86	2101321857.02
	W.D.V. as on	Additions during the	Depreciation during the	W.D.V. on 31.03.2023	
	01.04.2022	year	year		
	101883154.95	1073635.00	10242497.25	922719292.70	
	2257078.58	0.00	2257078.86	20313709.72	
	149449.41	0.00	14944.94	134504.47	
	3215176.10	117330.00	570274.00	3818202.10	
	28911801.72	4968655.50	8049561.76	25830895.46	
	156735370.76	7215590.50	21134356.81	142816604.45	
	TOTAL FIXED ASSETS				156735370.76
II	TOOLS AND PLANTS				
III	FURNITURE, FIXTURES, OFFICE EQUIPMENTS & VEHICLES				
FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (2021-22)	172861570.31	8708135.56	24834355.11		
V	MISCELLANEOUS EXPENDITURE CAPITALISED				




CHAIRMAN
 राजस्थान बैंक
 राजस्थान बैंक
 राजस्थान बैंक


FINANCIAL OFFICER
 राजस्थान बैंक
 राजस्थान बैंक
 राजस्थान बैंक

PLACE : JAIPUR

RAJASTHAN HOUSING BOARD

STATEMENT NO. III

DEPOSITS, FUNDS, ADVANCES AND INVESTMENTS AS ON 31st MARCH 2023

Amt. in Rs.

S.NO.	PARTICULARS	BALANCE UPTO LAST YEAR 2021-2022	AMOUNT RECEIVED/ ADJUSTED DURING THE YEAR 2022-23	AMOUNT PAID DURING THE YEAR 2022-2023	BALANCE AS ON 31st MARCH 2023
III	<u>DEPOSITS</u>				
1	DEPOSITS OF CONTRACTORS	CR 463716802.00	312662902.24	276026870.00	CR 500352834.24
	TOTAL-1	463716802.00	312662902.24	276026870.00	500352834.24
2	<u>REGISTRATION DEPOSIT</u>				
	i) SPECIAL REGISTRATION DEPOSIT	CR 0.00	0.00	CR 0.00	CR 0.00
	ii) GENERAL REGISTRATION DEPOSIT	CR 876322137.11	232163133.92	126930840.00	CR 3071022629.03
	iii) REGISTRATION OF SHOPS	CR 0.00	0.00	CR 0.00	CR 0.00
	TOTAL-2	876322137.11	232163133.92	126930840.00	3071022629.03
3	<u>OTHER DEPOSIT</u>				
	i) HIRE PURCHASE DEPOSIT	CR 3437409647.52	202330062.82	400327134	CR 3599737209.00
	ii) MISCELLANEOUS DEPOSIT	CR 6457180265.21	2989832143.67	2292107499.82	CR 7154904909.06
	iii) SAVING DEPOSIT	CR 0.00	0.00	CR 0.00	CR 0.00
	TOTAL-3	9894550112.73	3192162206.49	2332110201.16 CR	10754642118.06
4	<u>DEPOSIT FOR WORKS</u>				
	TOTAL-4	CR 244024200.33	200000000.00	2091919147.00	CR 152045063.93
	TOTAL DEPOSIT	1147863252.77	7826456440.65	4827047058.16 CR	1447863252.76
5	<u>FUNDS</u>				
	i) PROVIDENT FUND/ GENERAL PROVIDENT FUND	CR 714151.00	87526202.00	88037132.00	CR 203221.00
	ii) ANCILLARY SERVICE SCHEME FUND	CR 983155483.98	462389377.37	11380733.00	CR 1439164128.35
	iii) DEBENTURE REDEMPTION FUND	CR 0.00	0.00	CR 0.00	CR 0.00
	iv) MAINTENANCE RESERVE FUND	CR 3735060.04	0.00	36815737.00	CR 3750600.04
	v) CONTINGENCY EQUALIZATION RESERVE FUND	CR 1480140936.07	1452374674.40	36815737.00	CR 28569844.47
	TOTAL-5	250836171.09	2002290253.77	136233632.00 CR	4372417792.86
IV	<u>ADVANCES</u>				
	1) ADVANCES BEARING INTEREST	DR 7827985.72	417402.00	569823.00	DR 7980416.72
	2) ADVANCES NOT BEARING INTEREST	DR 651903413.90	1043312741.60	1454372278.86	DR 1063062951.16
	TOTAL-IV	659731409.62	1043630143.60	1454942101.86 DR	1071043367.88
VII	<u>INVESTMENTS</u>				
		DR 1461080411.37	0.00	0.00	DR 1461080411.37

Accounting policies and notes on Accounts as per Statement No. V

PLACE : JAIPUR
DATE :


Housing Commissioner
कृष्णराजपुरीजैन
विधायिक सत्रालयकार
राजस्थान शासक अधिकार
प्रभागाधारी आवासन संकलन विभाग




Chairman
(राजस्थान शासक अधिकार)
राजस्थान शासक अधिकार
प्रभागाधारी आवासन संकलन विभाग

RAJASTHAN HOUSING BOARD

STATEMENT NO. IV

STATEMENT OF INVESTMENT AS ON 31st MARCH 2023

S.NO.	TYPE OF INVESTMENT	DATE OF INVESTMENT	DATE OF MATURITY	AMOUNT OF INVESTMENT	DIVIDEND REINVESTED DURING THE YEAR	PRINCIPAL AMOUNT OF ENCASHMENT/ RE-DEMPTION DURING THE YEAR	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023
1	EQUITY SHARES OF RAVIL (200000 SHARES @ Rs. 10/- EACH AT PAR)	24.04.2003	-	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
	EQUITY SHARES OF RAVIL (49930 SHARES @ Rs. 10/- EACH AT PAR)	16.07.2012	-	499300.00	0.00	0.00	499300.00
2	EQUITY SHARES OF JMRC EQUITY SHARES OF JMRC	03.05.2012 01.07.2013	-	66000000.00 34000000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	66000000.00 34000000.00
3	UTI MMF FUND	2016-17	-	6530164.47	0.00	0.00	6530164.47
4	UTI MMF FUND	2017-18	-	153869300.09	0.00	0.00	153869300.09
5	UTI SPREAD FUND	2016-17	-	23122158.35	0.00	0.00	23122158.35
6	SBI ARBITRAGE FUND	2016-17	-	29379657.52	0.00	0.00	29379657.52
7	SBI ARBITRAGE FUND	2017-18	-	37579830.94	0.00	0.00	37579830.94
	TOTAL			1461080411.37	0.00	0.00	1461080411.37


PLACE : JAIPUR
DATE :

महाराजा युवराज सिंह
कृष्णराम
राजसवान अधिकारी
राजसवान आवासन संबल अधिकारी

महाराजा युवराज सिंह
कृष्णराम
राजसवान अधिकारी
राजसवान आवासन संबल अधिकारी



तालिकाVII प्रशासनिक ढांचा



क्षेत्रीय इकाई ढांचा

राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अध्यधीन व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

तालिकाVIII

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

'अध्यक्ष'			'आवासन आयुक्त'		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री के.के. सरीन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री के.सी. मित्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री आई.जी. झिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री अख्यराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री ए.एल. रुंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री अख्यराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री अख्यराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री पी.के. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री (डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री अख्यराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री पी.वी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री आर.एस. कुंभट(आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री पी.के. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री श्रीराम गोटेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री एस. के. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री अब्दुल मतीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री एन.एन नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री अशोक सम्पत्तराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री विनोद जुत्सी (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002
श्री परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री (डॉ)ललितके.पंवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमतीआर.आर.हल्दिया(आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006

'अध्यक्ष'			'आवासन आयुत्त'		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री ललित कोठारी (आइ.ए.एस)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री जी.एस. सन्धु (आइ.ए.एस)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री आशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री अशोक जैन (आइ.ए.एस)	7-Jun-2014	5-Feb-2016	श्री पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24-Aug-2009	09-May-2012
श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016	श्री टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10-May-2012	28-Sept- 2012
श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017	श्री नीरज के.पवन(आइ.ए.एस.)	01-Oct.-2012	19-Feb-2013
श्री उमेश कुमार (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	6-Oct-2017	आर. वेकटेश्वरन (आइ.ए.एस.)	19-Feb -2013	12-Feb-2014
श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	16-Oct-2017	13-Nov-18	श्री आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
श्री डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	13-Nov-18	03-Jan-19	श्रीओमप्रकाशसैनी(आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	5-Feb-2016
श्री रजत मिश्रा (आइ.ए.एस)	03-Jan-19	12-Feb-19	श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016
श्री भास्कर ए. सायंत (आइ.ए.एस)	13-Feb-19	07-May-21	श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017
श्री शांति धारीवाल	07-May-21	लगातार	श्री डा.के.बी.गुप्ता (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	28/2/2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	28/2/2018	7-May-2018
			श्री रोहित गुप्ता (आइ.ए.एस.)	7-May-2018	8-Jul-2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2018	28-Dec-2018
			डा.रविकुमारसुरपुर(आइ.ए.एस.)	28-Dec-2018	05-Mar-2019
			श्री सुबीर कुमार (आइ.ए.एस)	05-Mar-2019	27-June-2019
			श्री पवन अरोड़ा (आइ.ए.एस)	27-June-2019	लगातार

राजस्थान आवासन मण्डल का नेटवर्कः



बोर्ड की योजनाएँ जालौर, करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 67 शहरों/कस्बों में विस्तारित हैं।



“आवास भवन”, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर



जयपुर चौपाटी, प्रताप नगर, जयपुर



जयपुर चौपाटी, मानसरोवर, जयपुर



सिटी पार्क, मानसरोवर, जयपुर



मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम

(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)

'आवास भवन', जन पथ, ज्योति नगर,

जयपुर – 302005 राजस्थान (भारत)

(ईपीएबीएक्स – 0141 2740812, 2740113, 2740614; फैक्स – 0141 2740175)

(Website: www.urban.rajasthan.gov.in/rhb ; e-mail ID: info.rhb@rajasthan.gov.in)

:: मण्डल का है यह सपना :: सुंदर घर हो सबका अपना ::